राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F (15) NHM/RCH/JSY/OJAS/ 11 दिनांकः 16/05/2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिले।

विषयः— वर्ष 2016—17 में पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में क्रमोन्नत सीएचसी पर ओजस सॉफ्टवेयर द्वारा भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016—17 में पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर मास्टर डेटा अपडेशन में पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुई संस्थान को ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा जेएसवाई एवं एसएलवाई का ऑनलाईन भुगतान किया जाना है।

इस क्रम में जिलो पर कार्यरत डी.एन.ओ. समस्त संबंधित (क्रमोन्नत) संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी को पीसीटीएस सॉफ्टवेयर एवं ओजस सॉफ्टवेयर की Hands on training देना सुनिश्चित करेगे, जिसमें पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर जेएसवाई क्लेम फॉर्म की ऑनलाईन प्रविष्टि व संबंधित संस्थान से अधिकारी प्रभारी/नामित अधिकारी को ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण देंगे, साथ ही भुगतान प्रकिया में क्या—क्या सावधानियॉ बरतनी है की पुर्ण जानकारी दी जावें।

समस्त डी.एन.ओ. इस बात का ध्यान रखे कि प्रत्येक संस्थान से दो नामित अधिकारियों को ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षित किया जावें। संबंधित संस्थान स्तर पर नामित अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण उपरान्त ही, संस्थान स्तर से अनुशंषा आधार पर ही संबंधित अधिकारी प्रभारी/नामित अधिकारी को ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु अधिकृत किया जावेगा। समस्त डी.एन.ओ., संबंधित (क्रमोन्नत) संस्थान स्तर से अनुशंषा आधार पर, ओजस सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु संबंधित नामित अधिकारी के ओजस सॉफ्टवेयर पर लॉग—इन हेतु युजर आईडी व पासवर्ड के लिये लिखित में स्टेट डेमोग्राफर को अवगत करायेंगें।

पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुई संस्थान से ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के उपरांत, उक्त संस्थानों के द्वारा पूर्ववत प्रकिया अनुसार चैक द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। समस्त डी.एन.ओ., पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुई संस्थानों को ओजस सॉफ्टवेयर से संबंधित ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया हेतु पूर्व में जारी समस्त दिशानिर्देश उपलब्ध करावें।

13.5.16

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

cojsy.nhm@gmail.com, pdmhrch@gmail.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, निदेशक—आरसीएच।
3. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य।
4. सलाहकार जेएसवाई।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले।
6. जिला नोडल अधिकारी, समस्त जिले।
7. प्रभारी सर्वर रूम।
8. रक्षित पत्रावली।

13.9.14

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें
राजस्थान, जयपुर

cojsy.nhm@gmail.com, pdmhrch@gmail.com